भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 752

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की सिफारिश

752. श्रीमती डी. के. अरुणा:

श्री इटेला राजेंदर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी चिकित्सकों से संबंधित विधिक समन्वय समिति (एलसीसी) ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से राज्य सरकार को वेतन संबंधी आयोग की सिफारिश को तत्काल कार्यान्वित करने का निदेश देने की अपील की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार के चिकित्सकों का वेतन एम्स के चिकित्सकों के वेतन के बराबर हो सके, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एलसीसी ने सरकार से 56,100 रुपये का प्रारंभिक वेतन तय करने का अनुरोध किया है और प्रशिक्षु चिकित्सकों और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संबंधी छात्रों के लिए वजीफा और आयुर्विज्ञान संबंधी शिक्षकों के लिए वेतन की भी मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एलसीसी ने इन्हें न्याय दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार के चिकित्सकों के समान समयबद्ध पदोन्नति की भी मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): जैसा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा सूचित किया गया है, एनएमसी में सरकारी डॉक्टरों के लिए कानूनी समन्वय समिति (एलसीसी) से एनएमसी अधिनियम 2019 की प्रासंगिक धाराओं के तहत ऐसी कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।

*****